कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की "समुद्री मत्स्यपालन - भारत में मैरिकल्चर" विषय पर 02-07-2018 **को रामेश्वरम, तमिलनाडु में आयोजित अंतर-सत्रीय बैठक में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का संबोधन**

1. मंत्रालय में मेरे सहयोगी, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीमती कृष्णा राज, श्री परषोत्तम रुपाला, तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, परामर्शदात्री समिति के सभी उपस्थित माननीय संसद-सदस्य, सचिन (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग) एवं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी, वैज्ञानिक, सभी को मेरा अभिवादन। परामर्शदात्री समिति की अन्तः सत्रीय बैठक के लिए पवित्र शहर रामेश्वरम में आपका स्वागत है।

2. इस समिति की पिछली बैठक "कदन्न (कोर्स सीरियल्स)" विषय पर 22 मार्च, 2018 को संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी, जिसके मिनट्स, कार्यवाही के बिंदु एवं की गयी कार्यवाही की (एक्शन-टेकेन) रिपोर्ट आपके समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत किये गए हैं।

3. मुझे प्रसन्नता है कि "**समुद्री मत्स्यपालन - भारत में मैरिकल्चर**" से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और विमर्श करने के लिए हम सब आज यहाँ रामेश्वरम में एकत्रित हुए हैं! यह बैठक तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसने समिति की बैठक के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था की है। इस समिति की ओर से मैं तमिलनाडु की राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

4. भारत में मछली उत्पादन लगभग 11.4 मिलियन टन है, इसमें से 68% मछली उत्पादन अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र से आता है, तथा शेष 32% उत्पादन समुद्री क्षेत्र से होता है। यह उम्मीद की जाती है कि 2020 तक देश में 11.4 मिलियन टन के उत्पादन के मुकाबले 15 मिलियन टन मछली की आवश्यकता होगी, और 3.62 मिलियन टन का यह अंतर अंतर्देशीय एक्वाकल्चर तथा 'मैरीकल्चर' के माध्यम से ही प्राप्त करने की उम्मीद है।

5. मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय द्वारा देश की नई "राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2017" को नोटिफाई किया जा चुका है, जो देश में समुद्री मात्स्यिकी के विकास को आगामी 10 वर्षों तक दिशा प्रदान करेगी! भारत सरकार ने 'नीली-क्रांति' के अंतर्गत 'डीप-सी फिशिंग में सहायता' नामक एक उप-घटक शामिल किया है। इस योजना के तहत 'डीप-सी फिशिंग नौका' हेतु पारंपरिक मछुवारों के स्वयं सहायता समूहों/संगठनों आदि को प्रति-नौका 50 प्रतिशत, अर्थात 40 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम वर्ष **(2017-18)** में ही 312 करोड़ रुपये की केन्द्रीय राशि जारी की जा चुकी है, जिससे देश के पारंपरिक मछुवारे लाभान्वित हो सकेंगे।

6. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि **200** मीटर गहराई तक मौजूद निकटवर्ती समुद्री मत्स्य संसाधन का अधिकांशतः पूर्ण-उपयोग या अधि-दोहन हो रहा है, जो पारंपरिक मछुवारों की आजीविका पर एक गंभीर संकट की स्थिति है। इसी के दृष्टिगत, मंत्रालय द्वारा "समुद्री मात्स्यिकी" विषय पर चर्चा हेतु

सभी तटीय राज्यों के मत्स्य-मंत्रियों के साथ हाल ही में, 17 मई 2018 को एक बैठक आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक में तटवर्ती राज्यों से समुद्री मत्स्यन में जिम्मेदारी-पूर्ण और धारणीय मत्स्यन की दिशा में आवश्यक सुधारों को अपनाने का आह्वाहन किया गया है।

7. निकटवर्ती क्षेत्र से अतिरिक्त मत्स्य-उत्पादन की नगन्य सम्भावनाओं को देखते हुए ही भारत सरकार ने 'समुद्री मत्स्यपालन' को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है एवं 'नीली-क्रांति' के अंतर्गत 'मैरिकल्चर' से सम्बंधित घटकों को शामिल किया गया है! मैरिकल्चर खुले समुद्र में एक प्रकार की पर्यावरण- अनुकूल गतिविधि है, जिसके तहत खुले समुद्र में, जहां लहरों का प्रभाव कम होता है, उन स्थानों पर 'केज कल्चर' से समुद्री-मछली के पालन का अभ्यास किया जाता है। पिंजरों में पाली जाने वाली मछलियां उच्च मूल्य वाली होती हैं, जिनकी निर्यात की भी भारी मांग है।

8. मेरे मंत्रालय के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (डीएडीएफ) ने मैरिकल्चर के महत्व और दायरे को ध्यान में रखते हुए एक पायलट परियोजना "समुद्री फिनिफ़िश और शेलफिश मछली के उत्पादन में अनुसंधान और विकास" हेतु पूर्वी और पश्चिमी तट पर खुले समुद्री फ़्लोटिंग पिंजरे के प्रदर्शन-फार्म खोलने के उद्देश्य हेतु केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) को वर्ष 2005 में 237.37 लाख रुपये की परियोजना-लागत की मंजूरी दी थी।

9. मंत्रालय के तहत आने वाले 'राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड' (एनएफडीबी), हैदराबाद ने भी भारत के लगभग सभी समुद्री राज्यों के तटों के साथ 14 स्थानों में खुले-समुद्री 'केज-कल्चर' पर प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रदर्शन हेतु पर पायलट-परियोजना के आधार पर सीएमएफआरआई को 114.73 लाख रुपये जारी किये थे। पायलट परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन और नतीजों के आधार पर ही देश भर में खुले-समुद्री 'केज-कल्चर' की स्थापना की सिफारिश की गई थी।

10. डीएडीएफ ने समुद्री क्षेत्र से उत्पादन को बढाने के मुख्य उद्देश्य से 'मिशन मैरिकल्चर-2022' दस्तावेज तैयार किया है। इसके अंतर्गत, सभी समुद्री राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उन राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों और मछुआरों की सक्रिय सहभागिता के साथ 'खुले-समुद्री केज कल्चर' गतिविधि को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा देना प्रस्तावित है। खुले-समुद्री 'केज-कल्चर' को आकर्षक और लाभदायक बनाने के लिए इसे स्थानीय मछुआरा समुदाय से जुड़े स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) की गतिविधियों के रूप में बढाया जा सकता है।

11. डीएडीएफ ने मैरिककल्चर और 'खुले-समुद्री केज कल्चर के विकास' पर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों और संस्थानों के साथ कई परामर्श बैठकों का आयोजन किया है। देश में 'खुले-समुद्री केज कल्चर' के लिए मछली के बीज की कमी को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में, डीएडीएफ ने सीएमएफआरआई के सहयोग से 'कोबिया' और 'पोम्पानो' मत्स्य-प्रजातियों के बीज उत्पादन के लिए राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से दो परियोजनाएं शुरू कीं हैं, जिनमे सीएमएफआरआई के मंडपम और विझिनजम इकाइयों को 8.88 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी है।

12. महाराष्ट्र में रत्नागिरी तथा तमिलनाडु के रामेश्वरम में 'खुले-समुद्री केज कल्चर' के लिए मछुआरा समुदाय को सीएमएफआरआई की तकनीकी सहायता के साथ ही साथ सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। यह वित्तीय-सहायता समुद्री मछुआरों के एसोसिएशन / सोसाइटी के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्री केजों में कोबिया की खेती हेतु 'कोबिया फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन' को सहयोग किया गया है।

13. समुद्री शैवाल या सी-वीड समुद्र के आश्चर्यजनक पौधे हैं जो उथले पानी में उगते हैं। सी-वीड 'समुद्री-खाद्य पदार्थ' के साथ ही साथ निर्यात की वस्तु के रूप में भी उपियोगी हैं, जिनसे 'अगर', 'अगरोस' आदि उत्पाद बनाये जाते हैं। 'सी-वीड' की भारत सहित कई एशियाई देशों में मांग होने के चलते इनकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। प्राकृतिक 'सी-वीड' स्टॉक औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो गए हैं, और इसलिए इन महत्वपूर्ण संसाधनों की खेती जरूरी हो गई है। 'सी-वीड' की खाद्य और दवा क्षेत्र में कई अनुप्रयोगों के चलते इनका अत्यधिक मूल्य मिलता है।

14. डीएडीएफ ने 'सी-वीड' की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसे नीली-क्रांति योजना के तहत उप-घटक के रूप में शामिल किया है, जिसके अंतर्गत मछुआरों और उनके संगठनों को 'सी-वीड' प्रशिक्षण, प्रदर्शन और 'सी-वीड' खेती के लिए सब्सिडी सहायता प्रदान की जाती है। एनएफडीबी ने सी-वीड की खेती हेतु तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में सी-वीड की खेती में प्रशिक्षण और तकनीकी-प्रदर्शन कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण सहायता दी है। डीएडीएफ ने हाल ही में गुजरात में लाल-समुद्री शैवाल की खेती की एक परियोजना हेतु रु.201.52 लाख राशि की मंजूरी दी है, जिसके तहत तटीय मछुआरों, विशेष रूप से महिला मछुआरों के लाभ के लिए लागू किया जा रहा है।

15. मैरिककल्चर के लिए स्थानीय समुदाय को शामिल करते एक उपयुक्त नीति और दिशानिर्देश तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि इस उद्देश्य के लिए हितधारकों के साथ राष्ट्रीय परामर्श के तीन दौर आयोजित किए गए थे, तथा 12 अक्टूबर, 2017 को एनएफडीबी में एक लेखन-वर्कशॉप भी आयोजित की गई थी, जहां 'भारत में सुमुद्री केज कल्चर के लिए दिशानिर्देश' को हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करते हुए प्रकाशित भी किया गया था।

16. मैं अपने सभी राज्य मंत्री और सलाहकार समिति के सदस्यों को आज की बैठक में सम्मिलित होने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं तमिलनाडु सरकार, आईसीएआर और अन्य मात्स्यिकी संस्थानों को भी उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। हम समिति के माननीय सदस्यों से मूल्यवान सुझावों की उम्मीद करते हैं ताकि मात्स्यिकी से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और मछुआरों की सामाजिक- आर्थिक समृद्धि तथा उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके।

धन्यवाद।